का.ज्ञा.सं. 4-2(12)/2020-डीडी-I

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-3

दिनांक : 02.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- विभाग के अर्जुन एमआईएस पोर्टल पर सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता हेतु योजना (एडिप योजना) के संबंध में लाभार्थियों के आंकड़े अपलोड करने में विलंब के लिए शास्ति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभाग द्वारा यह देखा गया है कि विभिन्न निर्देशों के बावजूद विभाग के अर्जुन एमआईएस पोर्टल (adip.disabilityaffairs.gov.in) पर एडिप योजना के संबंध में लाभार्थियों के आंकड़ों को अपलोड करने में विलंब हो रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एडिप योजना की सभी कार्यान्वयन एजेंसियां लाभार्थियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण की तारीख से 02 दिनों के भीतर अर्जुन एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थियों के आंकड़े प्रस्तुत करेंगी। उदाहरण के लिए, यदि वितरण की तारीख किसी भी महीने की पहली तारीख है, तो आंकड़े उस महीने की तीसरी तारीख की मध्यरात्रि तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

2. निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन न करने की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसियों पर उस दिन में वितरित सहायक यंत्रों और उपकरणों की लागत का 1% राशि प्रतिदिन शास्ति के रूप लगाई जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष दिन वितरित सहायक यंत्रों और उपकरणों की लागत की राशि 1,00,000 रुपये है, तो 2 दिनों के बाद अर्जुन पोर्टल पर आंकडे अपलोड करने तक कार्यान्वयन एजेंसी पर प्रति दिन 1000 रुपये (1,00,000 रुपये का 1%) की शास्ति लगाई जाएगी।

3. तदनुसार, यह सलाह दी गई है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां मूल्यांकन के समय लाभार्थियों के आंकड़े अपलोड करने का प्रयास करेंगी और अर्जुन एमआईएस पोर्टल पर वितरण के समय इसे प्रस्तुत करेंगी।

SANDEEP KUMAR

Digitally signed by SANDEEP KUMAR
Date: 2023.11.22 13:11:03 +05'30'

(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

एडिप योजना की सभी कार्यान्वयन एजेंसियां।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (आरवाई)/ संयुक्त सचिव (आरएस)/ संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव